फैक्स / ई–मेल　　**महत्ववपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता**

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0
अनुभाग–4, लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– आर–1967 / 4– 24एफ / 2015　　　　दिनांक 18 मार्च, 2016

विषय– राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति व सीधी भर्ती के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नवीन पाठयक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया परिषदादेश संख्या–1967 / 4–35एफ / 2014, दिनांक 15.03.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा लेखपाल, भूमि अध्याप्ति अमीन संवर्ग से प्रोन्नत तथा सीधी भर्ती से चयनित राजस्व निरीक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त परिषदादेश द्वारा जारी किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन करते हुये निम्नानुसार संशोधित आदेश निर्गत किये जाने का मुझे निदेश हुआ हैं :–

1– दिनांक 22–3–2016 तक **सीधी भर्ती से नियुक्त** होकर कार्यभार ग्रहण कर चुके प्रदेश के **सभी जनपदों के राजस्व निरीक्षकों** का तीन माह प्रशिक्षण दिनांक 11 अप्रैल 2016 को पूर्वाहन 10 बजे से राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय इलाहाबाद में आरम्भ किया जायेगा।

2– अलीगढ़ मण्डल के अंतर्गत आने वाले जनपदों के **प्रोन्नति से चयनित** राजस्व निरीक्षक, राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय **बिजनौर** में दिनांक 01–04–2016 को पूर्वाहन 10.00 बजे से एक माह का संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

3– वाराणसी मण्डल के अंतर्गत आने वाले जनपदों के **प्रोन्नति से चयनित** राजस्व निरीक्षक दिनांक 01–04–2016 को पूर्वाहन 10.00 बजे से राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय **लखनऊ** में एक माह का संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

4– गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, एवं देवीपाटन मण्डल के अंतर्गत आने वाले जनपदों के **प्रोन्नति से चयनित** राजस्व निरीक्षक एक माह का संस्थागत प्रशिक्षण, दिनांक 01–04–2016 को पूर्वाहन 10.00 बजे से राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर में प्राप्त करेंगे।

5– **सीधी भर्ती से चयनित** ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होनें दिनांक 22.03.2016 तक कार्यभार ग्रहण कर लिया है वे दिनांक 11–04–2016 को प्रातः 9.00 बजे तक मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा **प्रोन्नति से चयनित** सभी अभ्यर्थी दिनांक 01–04–2016 को प्रातः 9 बजे तक सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

---2/---

कृपया उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में समस्त सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। परिषदादेश दिनांक 15.03.2016 द्वारा निर्गत शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(धीरज साहू)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व **दिनांक यथोक्त**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ जनपदों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– जिलाधिकारी महोबा, बिजनौर, लखनऊ, गोरखपुर, एवं इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही/तैयारी हेतु अपने जनपद के मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य, को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3– प्रधानाचार्य, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय महोबा, बिजनौर, लखनऊ, गोरखपुर, एवं इलाहाबाद को इस आदेश के साथ प्रेषित कि परिषद के आदेशानुसार नियत तिथि से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण हेतु समस्त आवश्यक तैयारी पूर्ण करते हुये परिषद को तत्काल अवगत करायें।

4– प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी, राजस्व परिषद, अनुभाग–3, लखनऊ को परिषदादेश संख्या–1967/4–35एफ/2014, दिनांक 15.03.2016 की प्रति सहित सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव।